२४/५/२१ वकील वादी उपस्थित नही। वादी स्वयं भी उपस्थित नही। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नही हुआ। बार-बार आवाज लगाई गई। अत: यह वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय मे शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू